International Journal of Information Movement Vol.2 Issue VII (November 2017)
Website: www.ijim.in ISSN: 2456-0553 (online) Pages 259-262

भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण एवं मीडिया

प्रियंका कुमारी,
शोधार्थी, हिन्दी विभाग,
ति.माँ. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर (बिहार)
Email: mrspriyanka100@gmail.com

भारतीय समाज में स्वतंत्रता के पश्चात् स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में तेजी से परिवर्तन हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि स्त्रियों ने आज हिन्दू जीवन के परंपरागत सिद्धांतों को केवल अस्वीकार ही नहीं किया, अपितु उसे चुनौती भी दी है।

संविधान और नए सामाजिक अधिनियमों के द्वारा जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं। लेकिन, पुरुषों का अहम्वाद आज भी व्यावहारिक रुप में उन्हें वे अधिकार देने के पक्ष में नहीं है, जिसकी स्त्रियाँ वास्तव में अधिकारी है। हालाँकि अधिकांश स्त्रियाँ जीविकोपार्जन तथा सम्पति के क्षेत्र में मिलने वाले अधिकारों के प्रति आज भी उदासीन है, इसके बावजूद नगरों में स्त्रियों ने सामाजिक और आर्थिक दासता के पुराने बंधनों को तोड़ने में महत्वपूर्ण सफलताएँ प्राप्त की हैं।[1] शिक्षा के प्रसार तथा औद्योगिकीकरण ने उन्हें आर्थिक जीवन में प्रवेश करने के कई अवसर प्रदान किए। परिणामस्वरुप, स्त्रियों की निर्भरता पुरुषों पर से कम होने लगी और उन्हें अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर भी मिले। स्त्रियों ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए समाचार पत्र, संचार के साधनों, पत्र-पत्रिकाओं को माध्यम के रुप में अपनाया।

19 वीं तथा 20 वीं सदी के आरंभ में राजा राममोहन राय तथा आर्य समाज के प्रयत्नों ने जिस स्त्री शिक्षा को प्रारंभ किया था, उसमें आज व्यापक प्रगति हुई है। भारत में स्वतंत्रता के समय 1000 स्त्रियों में केवल 54 प्रतिशत साक्षर थीं, वहीं आज यह संख्या बढ़कर 540 हो गई है। इस समय विभिन्न आयु समूहों की लगभग 5 करोड़ से अधिक लड़कियां स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। ब्रिटिश काल तक लड़कियों को शिक्षा देना एक आध्यात्मिक कार्य के रुप में देखा जाता था। वहीं, आज लड़कियों ने विज्ञान, कला और वाणिज्य की शिक्षा के साथ व्यवसायिक और राजनीतिक शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित किया है। शिक्षा के प्रसार से स्त्रियों में न केवल एक नई सामाजिक चेतना विकसित हुई बल्कि उन्होंने उन कुरीतियों से भी छुटकारा पा लिया, जो उन्हें दासता की जंजीरों में जकड़े हुए थी। अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों द्वारा स्त्रियों ने यह प्रमाणित कर दिया कि मानसिक स्तर पर वे किसी भी तरह पुरुषों से निम्न नहीं हैं।[2]

आर्थिक दृष्टिकोण से आज स्त्रियों की स्थिति उच्च है। वे केवल पति पर ही आश्रित नहीं हैं, शिक्षा की प्रगति तथा बदलती हुई मनोवृत्तियों के प्रभाव से अब सभी क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। उच्च स्तर की प्रशासनिक सेवाओं में भी स्त्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। विगत वर्षों में उद्यमिता के क्षेत्र में स्त्रियों का सफलतापूर्वक प्रवेश करना सभी के लिए एक सुखद आश्चर्य है। आज स्त्रियाँ बड़े-बड़े उद्योगों का संचालन कर रही हैं तथा चिकित्सकों एवं सलाहकारी सेवा में इनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। आर्थिक क्षेत्र में जैसे-जैसे स्त्रियों की पुरुषों पर निर्भरता कम होती जा रही है वैसे-वैसे परिवार और समाज में उनका सम्मान बढ़ता जा रहा है।[3]

आज भारत के विभिन्न मुख्य धंधों में नौकरी करने वाली स्त्रियों की संख्या 12.72 करोड़ से भी अधिक है। इतना ही नहीं सन् 1956 के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा हिन्दू स्त्रियों को माता, पत्नी और पुत्री के रुप में पुरुषों के समान ही सम्पति संबंधी अधिकार प्राप्त हो गया है। आज उनका आत्म विश्वास, कार्य क्षमता और मानसिक स्तर में जो प्रगति हुई, उनको मिली हुई आर्थिक स्वतंत्रता का ही परिणाम है।

स्वतंत्रता से पूर्व सभी स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं था। परन्तु, आज भारत की प्रत्येक नारी जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, उन्हें वोट देने तथा स्वयं लोकसभा, विधानसभा आदि के सदस्य के लिए उम्मीदवार होने का अधिकार भी मिल गया है। अब तो पंचायत, नगरपालिका आदि के चुनाव में काफी संख्या में सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं।[4]

विश्व के लगभग सभी समाजों में सामाजिक विकास की प्रत्येक अवस्था में तथा अर्थव्यवस्था के प्रत्येक स्वरुप में महिलाओं की भूमिका किसी न किसी रुप में उल्लेखनीय रही है। भारत सरकार की ओर से महिलाओं

को सशक्त बनाने के लिए वर्तमान में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उनमें प्रमुख रुप से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन, राजीव गांधी किशोर सशक्तिकरण योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना शामिल है। इसके अलावा सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की, जो महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें अपनी भूमिका के प्रति जागरुक करती है। सरकार के विभिन्न योजनाओं का असर शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, उद्योग, कानून और प्रशासनिक क्षेत्रों के विकास के रुप में दिखाई दे रहा है।

सरकारी प्रयास के साथ-साथ आज ग्रामीण महिलाएँ स्वयं भी काफी जागरुक हो रही हैं। महिलाएँ स्वयं सहायता समूह के जरिये एकजुट कार्य करते हुए हर गांव एवं कसबे में सफलता पा रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज ग्रामीण महिलाएँ सीढ़ी-दर-सीढ़ी प्रगति की राह पर अग्रसर हैं। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध समाप्त हो गए हैं। कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति हिंसा, दहेज उत्पीड़न से बुराइयाँ भी कायम है। ग्रामीण महिलाओं को सही मायने में सशक्तिकरण के अभी और भी सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है।

विश्व के विकसित और विकासशील देशों में आज भी ग्रामीण महिलाएँ मुख्य भूमिका अदा कर रही हैं। ग्रामीण इलाकों की महिलाएँ एक तरफ जहाँ फसलों के उत्पादन, देख-रेख, भोजन पानी, ईंधन जुटाने में सहायक साबित हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों की देखभाल अच्छे तरीके से कर रही हैं।

भारत में उदारीकरण का दौर शुरु होने पर महिलाओं की स्थिति में तेजी से परिवर्तन देखने को मिला। देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के फैलाव में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार दिया जिनमें महिलाओं की संख्या भी उल्लेखनीय रही। नयी प्रौद्योगिकी और शिक्षा के प्रसार में महिलाओं के प्रति समाज की सोच में बदलाव लाना शुरु किया और धीरे-धीरे हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए द्वार खुलने लगे। उनकी सामाजिक स्थिति के साथ-साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई।

वर्तमान सामाजिक परिवेश में महिलाओं का दायित्व और जीवन संदर्भ में काफी बदलाव हुए। ऐसी परिस्थिति में आज महिलाएँ महिला-पुरुष के बीच की असमानता को मिटा कर हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं और सफलता प्राप्त कर रही हैं। लेकिन यह सफलता ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में अभी तुलनात्मक रुप से पीछे है। इसका मुख्य कारण है- जनसंचार का सही ढंग से प्रयोग न होना। महिलाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या उनके स्वास्थ्य को लेकर है। चाहे एड्स हो, कालाजार, मलेरिया, रक्त की अल्पता और प्रसूति संबंधी बीमारी। आज भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण महिलाओं में व्याप्त अशिक्षा, गरीबी एवं अज्ञानता है। जनसंचार माध्यम का लाभ अशिक्षित एवं अर्द्धशिक्षित महिलाओं के लिए बहुत ही सरल और ज्ञानवर्धक हो सकता है। महिलाओं के मन-मष्तिष्क में रुढ़ीवादी विचारों एवं अंधविश्वासों को संचार माध्यमों के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। इस तरह महिलाओं में जनसंचार के माध्यम से सशक्तिकरण का उदय होगा और महिलाओं में जागरुकता की भावना का विकास संभव होगा। जब महिलाओं को अपने अधिकारों एवं शक्ति की पहचान होंगी वे तब ही राष्ट्रीय विकास में अपना पूर्णतया योगदान कर सकेंगी।

भारतीय संदर्भ में सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को शक्ति एवं अधिकार संपन्न बनाना है। इसका लक्ष्य शक्ति संतुलन द्वारा लिंग समानता पर आधारित समाज की स्थापना करना है। सशक्तिकरण की विवेचना में आमतौर पर अशक्त या कमजोर वर्ग को शक्ति संपन्न बनाने की प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। किन्तु सशक्तिकरण का पर्याय सिर्फ शक्ति अधिग्रहण की क्षमता के विकास से नहीं है, बल्कि शक्ति के संरक्षण, उसे प्रयुक्त करने तथा उसके उपयोग की क्षमता के विकास से भी है। इस बहुआयामी प्रक्रिया के तहत महिलाएँ शक्ति प्राप्त करने के लिए जागरुक बनती है तथा उनमें सामाजिक, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करने की क्षमता का विकास होता है।

वस्तुतः सशक्तता की प्रक्रिया मस्तिष्क और नारी की चेतना से शुरु होती है। जब महिला स्वयं पर अपने अधिकारों, योग्यताओं और संभावनाओं पर विश्वास करने लगती है तो उसे अपने अस्तित्व की जानकारी भी होने लगती है। जिसके परिणामस्वरुप वह समाज के आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों से परिपूर्ण होने का प्रयास करती है। यह स्थितियां उसे बचपन से मन में बैठी हीन भावना को तोड़ने में मदद करती है। अपनी शक्ति, ज्ञान, बुद्धि, कौशल, न्याय तथा गरिमा पाने के अधिकार की जानकारी प्राप्त कर महिलाएं संघर्ष के लिए कदम बढ़ा

रही हैं। जो उनकी सशक्तता के प्रभावी कदम है। महिलाओं की इस छवि को गति देने में मीडिया का योगदान भी उल्लेखनीय है। क्योंकि महिलाओं पर केन्द्रित कार्यक्रमों में जिस तरह से महिला की छवि प्रस्तुत की जाती है उससे महिलाएं उद्वेलित और प्रेषित हो रही है ताकि वह भी शक्ति और सामर्थ्य की पहचान बनें।

परंपरागत समाज में पुरुष ही परिवार के सभी सदस्यों की जीविका के लिए उत्तरदायी होता था। महिलाओं की सीमा परिवार की परिधि तक सीमित रखी जाती थी। महिलाओं के लिए घर के बाहर जाकर काम करना अमर्यादित और अशोभनीय माना जाता था। इतना ही नहीं बल्कि घर से बाहर जाकर कार्य करना महिलाओं के स्वभाव के विपरीत ही समझा जाता था। महिलाएं आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भर रहती थी। लेकिन आज की महिलाएं अपने परिवार के पुरुष सदस्यों पर पूर्णतः निर्भर नहीं रहती हैं।[5]

आधुनिक भारतीय नारियों का प्रवेश अब आर्थिक क्षेत्र में भी हो गया है। वह परिवार के बोझ को संभालने में भी समर्थ हो गई हैं। महिलाओं द्वारा अर्थ क्षेत्र से जुड़ने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति एवं दशा का सुधार हुआ है। साथ ही परिवार में उनकी जो स्थिति थी, उसमें भी परिवर्तन हुआ है। पहले के पुरुष वर्ग भी महिलाओं से नौकरी करवाना अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन, औद्योगिक समाज में उनका दृष्टिकोण भी बदल गया है। अब उनके जीवन और दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। अब महिलाओं का घर से बाहर जाना और कार्य करना आदि उन्हें अच्छा लगता है। अध्ययन एवं सर्वेक्षण के आधार पर यह बात स्पष्ट हुई है कि समाज के पुरुष वर्ग नारियों के कार्य में प्रवेश को उत्तम मानते हैं। क्योंकि उनकी पारिवारिक एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है।[6]

वर्तमान समय में महिलाएँ धीरे-धीरे सदियों से जकड़े हुए बंधनों से मुक्त होकर समाज में अपनी अधिकारों की मांग कर रही है। महिलाओं को उनके अधिकारों को दिलाने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आज टी.वी मनोरंजन एवं सूचनाएँ प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम बन गया है तथा प्रतिदिन टी.वी. देखना लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। ऐसे में महिलाएँ भी इससे अछूती नहीं हैं। विशेषकर घरेलू महिलाएं जिनका घर में अपना खाली समय में मनोरंजन के एक साधन के रुप टी.वी. देखना उनकी पहली पसंद है। किन्तु मनोरंजन के नाम पर टी.वी. के विभिन्न चैनलों द्वारा जो सेक्स, हिंसा, अश्लीलता आदि दर्शकों के सामने परोसी जा रही है, युक्तिसंगत नहीं है। आजकल विभिन्न चैनलों पर दिखाए जा रहे पारिवारिक धारावाहिकों में महिलाओं का जो चरित्र चित्रण किया जा रहा है वह कहीं से भी एक आम भारतीय महिला से मेल नहीं खाता है। इसके अतिरिक्त फैशन एवं आधुनिकता के नाम पर महिलाओं का अश्लील और फुहड़ कार्यक्रमों एवं विज्ञापनों में दुरूपयोग किया जा रहा है तथा इसे महिलाओं के विकास का नाम दिया जा रहा है वह निश्चित रुप से शर्मनाक है।

यह सच है कि आज की नारी में अपनी बात कहने की अधिक क्षमता है। वह अपनी लड़ाई स्वंय लड़ने में सक्षम है। उसके व्यक्तित्व में एक तरह की दृढ़ता परिलक्षित होती है, लेकिन उसकी इस छवि को अतिश्योक्ति के साथ प्रस्तुत करना की वह एकदम ग्लैमरस नजर आये। पाश्चात्य सभ्यता की भोंडी नकल का परिणाम है।[7]

वर्तमान समय में प्रेस ने काफी उन्नति की है जिसके कारण कई प्रकार के प्रगतिशील पुस्तकों, समाचार पत्रों आदि का अखिल भारतीय आधार पर मुद्रण एवं वितरण संभव हुआ है। इसके अतिरिक्त यातायात और संचार के उन्नत साधनों ने देश और दुनिया की स्त्रियों को एक-दूसरे से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में सहायता प्रदान की है। इन सब के द्वारा अर्थात प्रेस, सहायता व संचार साधनों द्वारा नारी आन्दोलन को चलाने, नारी समस्या के प्रति स्वस्थ जनमत निर्माण करने, नारी नेताओं के विचार दूर-दूर तक फैलाने में सहायता मिलती है। यह भारतीय नारी की वर्तमान उन्नत स्थिति का एक महत्वपूर्ण कारक है।[8]

आज नारी आन्दोलन अपनी पूर्ण गति में है, इस गति को वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण ने अधिक तीव्र कर दिया है। इस आन्दोलन के कई नाम हैं- महिलावाद, नारी मुक्ति आन्दोलन और दुनिया के विभिन्न भागों में इसे कई अन्य नामों से जाना जाता है। वहाँ के समाज विज्ञानों में अपनी स्थानीय समस्याओं के अन्तर्गत जेंडर समस्या को सर्वाधिक महत्व देते हैं। हमारे यहां भी नारी आन्दोलन चल रहा है और उसे गति देने में उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और शहर की पढ़ी-लिखी स्त्रियों का योगदान विशेष है।[9]

जो लोग आज के आधुनिक भारत में जागरुक हैं वे अब स्त्री आन्दोलन से रुबरु हैं। बड़े शहरों में जहां स्त्रियों पर अत्याचार होता है, वे आन्दोलन मंच पर आ जाते हैं। भारत में स्त्री आन्दोलन का सबसे बड़ा मुद्दा बुनियादी मुद्दा है। पितृवंशीय व्यवस्था में स्त्रियों की बदलती स्थिति का बहुत बड़ा कारण पितृवंश और

पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। ऐसा लगता है कि शिक्षा की व्यापकता और वैश्वीकरण के फैलाव के साथ यह आन्दोलन गांवों की चैपाल तक भी पहुंच जाएगा।[10]

सोशल मीडिया विचारों को प्रेषित करने का सबसे सुगम माध्यम है। जिसमें हमें अपने विचारों के प्रति सामाजिक प्रतिक्रिया भी तुरंत प्राप्त हो जाती है और हमारी सोच को एक नई दिशा भी मिल जाती है। हमारी सोच और विचारों का दायरा बढ़ने लगता है तथा हम एक नई दुनिया में प्रवेश करने लगते हैं। जहां बहुत से लोग हमारे विचारों से सहमत होते हैं और जो सहमत नहीं होते उनके तर्कपूर्ण विचार सोचने को मजबूर करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से न सिर्फ कविता, कहानियाँ लिखी जाती हैं, बल्कि इसके माध्यम से देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों पर भी विचारों का आदान प्रदान होता है।

आज सोशल मीडिया ने न जाने कितने ही स्त्रियों को उनके अस्तित्व से परिचित कराया है। वह जो डरी, दबी और सहमी सी जिंदगी जी रही थीं, आज खुद को एक मुकाम पर पाती हैं जब वह अपने अन्दर की प्रतिभा से परिचित होती हैं। यह वह माध्यम है जहां तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है और प्रतिक्रिया वह खुराक होती है जो किसी को भी प्रोत्साहित या हतोत्साहित कर सकती है। जब एक स्त्री को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है या कुछ शुभचिंतक उसे और उसकी गलतियां आदि समझाते हैं और जब वह उन्हें सुधार कर आगे बढ़ती है तो उसके हौसले की उड़ान का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता।

आज 40 पार की महिलाओं का एक बड़ा वर्ग जब अपनी जिम्मेदारियों से एक हद तक मुक्त हो जाता है तो सोशल मीडिया का ही रुख करता है। आज इन महिलाओं में से जाने कितनी महिलाओं को अपने अन्दर की प्रतिभा की पहचान इन्हीं माध्यम से हुई है क्योंकि कोई ब्लॉग पर, तो कोई फेसबुक पर, तो कोई ट्यूटर पर सक्रिय है जहां उसकी रुचि के लोग उसके साथ जुड़े हैं। फिर वो कहानीकार हो, कवयित्री, लेखिका, समाजसेवी, गृहिणी या अन्य किसी विधा में निपुण हो सबको अपने जैसे लोग यहाँ मिलते हैं और उन सभी की ज्यादातर समस्याएँ और बातें एक सी होती हैं। तो सब जल्दी से एक-दूसरे से न केवल जुड़ जाती हैं, बल्कि सराहती भी हैं और आगे बढ़ने में मदद भी करती हैं। जिससे एक नया संसार खुलता है। परिणामस्वरूप उनके अन्दर भी हौसले और उर्जा का संचार होता है और आत्मविश्वास जन्म लेता है।

आज एक स्त्री यदि आवाज उठाती है तो वो उसकी गूंज दूर तक जाती है। उसका कारण है सोशल मीडिया जहाँ किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। किसी के साथ अन्याय हुआ हो या किसी की कोई उपलब्धि हो, पल भर में सुर्खी बन जाती है, जो एक स्त्री के व्यक्तित्व के विकास में सहायक सिद्ध होता है।

निष्कर्षतः

यही कहा जा सकता है कि महिलाओं को स्वयं में छिपी अपनी शक्तियों को पहचानना होगा। जब वे अपनी उर्जा का सही दिशा में रुपान्तरण करेगी तभी देश में प्रबुद्ध एवं जिम्मेदार नागरिकों की संख्या में वृद्धि हो सकेगी तथा महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य मजबूत फेविकोल की जोड़ की भांति टिकाऊ हो सकेगा।

संदर्भ

1. अग्रवाल, जी.के. (2008): समाजशास्त्र, आगरा, एस.बी.डी. पब्लिकेशन्स हाउस, पृ. 272
2. देसाई, ए.आर. (1969): भारतीय राष्ट्रवाद का सामाजिक आधार, पृ. 79
3. पाठक, पी.डी. (2006):भारतीय महिला व उसकी समस्याएं, विनोद प्रकाशन मंदिर, आगरा, पृ. 41
4. अग्रवाल, शशि रानी (2008): स्त्री वर्तमान संदर्भ में, विजय प्रकाशन मंदिर, वाराणसी, पृ. 19
5. राकेश कुमार (2001): नारीवादी विमर्श, आधार प्रकाशन, पंचकूला, हरियाणा
6. शर्मा, क्षमा (2002): स्त्रीवादी विमर्श समाज और साहित्य, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 67
7. कपूर, प्रमिला (2003): औरत की अभिव्यक्ति एवं आदमी का अधिकार, जवाहर पुस्तकालय, मथुरा, पृ. 94
8. गुलाटी, एस. (1985): वूमेन एण्ड सोसाईटी, चाणक्य पब्लिकेशन्स, दिल्ली, पृ. 58
9. दोशी, एस.एल. (2005): समाजशास्त्र नई दिशाएं, जयपुर, पृ. 119
10. मुखर्जी, रविन्दनाथ (2006): भारतीय समाज व संस्कृति, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 312